

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2019/भाद्र 29, 1941
No. 551]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019/BHADRA 29, 1941

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 674(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2019 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खनिज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016, में नियम 44, (क) खंड (i) में, उपशीर्षक धातु की औसत विक्रय कीमत के अंतर्गत,—
 - (क) "और जिंक", शब्दों के स्थान पर "जिंक और ऐसी अन्य धातुएं" शब्दों को रखा जाएगा;
 - (ख) "भारतीय रिज़र्व बैंक" शब्दों के पश्चात "अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई एजेंसी" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।
 - (ख) खंड (ii) में, "और चांदी", शब्दों के स्थान पर "चांदी और ऐसी अन्य धातुएं" शब्दों को रखा जाएगा।
- (ग). नियम 45 में, उपशीर्षक एल्युमिना और एल्युमिनियम निष्कर्षण, चूना-पत्थर, टंगस्टन में उपयोग किए जाने हेतु धातुकर्मीय ग्रेड बॉक्साइट के लिए औसत विक्रय कीमत की गणना करने का सूत्र के अंतर्गत उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात:—

4907 GI/2019 (1)

"(i) राज्य सरकार धातुकर्मीय ग्रेड बॉक्साइट की औसत विक्रय कीमत की गणना निम्नलिखित तरीके से करेगी:

औसत विक्रय कीमत = 52.90% x शुष्क आधार पर बॉक्साइट में $\mathrm{Al_2O_3}$ का प्रतिशत x आईबीएम द्वारा माह के लिए यथा प्रकाशित भारतीय रुपए में औसत एल्युमिनियम कीमत x केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित परिवर्तन गुणक

[फा. सं. 16/58/2017-एम.VI]

निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खिनज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खिनजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 को सा.का.िन. 279(अ) तारीख 4 मार्च, 2016 की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और तारीख 8 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.िन. 1120(अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2019

- **G.S.R.** 674(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, in rule 44, (a) in clause (i), under sub-heading Average sale price of metal,—
 - (A) for the words "and Zinc", the words "Zinc, and such other metals" shall be substituted;
 - (B) after the words "Reserve Bank of India" the words "or any agency authorised by the Reserve Bank of India" shall be inserted.
 - (b) in clause (ii), for the words "and Silver", the words ",Silver and such other metals" shall be substituted.
- (c) in rule 45, under the sub-heading Formula for calculating average sale price of metallurgical grade Bauxite to be used in alumina and aluminium extraction, Limestone, Tungsten, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 - "(1) The State Government shall arrive at the average sale price of metallurgical grade Bauxite in the following manner:

Average Sale Price = 52.90% X Percentage of $A1_2O_3$ in bauxite on dry basis X Average Aluminium price in Indian rupees for the month as published by IBM X Conversion factor as notified by the Central Government.

[F. No. 16/58/2017-M.VI]

NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification numbers G.S.R. 279(E), dated the 4th March, 2016, and last amended *vide* notification number

G.S.R. 1120(E), dated 8th December, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 675(अ).—केन्द्रीय सरकार, खनिज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 45 के उपनियम (1) के अनुसरण में धातुकर्मीय ग्रेड बॉक्साइट के औसत बिक्री कीमत की गणना हेतु एतद्वारा निम्नानुसार परिवर्तन गुणक को अधिसूचित करती है; अर्थात्:—

"परिवर्तन गुणक = 6.40%"

[फा. सं. 16/58/2017-एम.VI]

निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2019

G.S.R. 675(E).—In pursuance of sub-rule (1) of rule 45 of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, the Central Government hereby notifies the Conversion factor for calculation of Average Sale Price of metallurgical grade Bauxite as under, namely:—

"Conversion factor = 6.40%"

[F. No. 16/58/2017-M.VI]

NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.